ग्राम पंचायत टकसाल, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला सोलन के लेखों का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग- एक

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत टकसाल, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला सोलन के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का अंकेक्षण कार्य, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमति संतोष कुमारी	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री पवन ठाकुर	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत टकसाल के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न	**0.91**

		करने के कारण अन्तशेष में अन्तर	
2.	4.3	रोकड़ बहियों में फर्जी अनुचित/असमर्थित पाई जाना	**50.75**
3.	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष	**114.17**
4.	7 (1,2,3)	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष	2.00
5.	8.1	स्व: स्त्रोत से प्राप्त आय को बैक खाते में जमा करवाये बिना व्यय करना	0.66
6.	8.2	आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को रॉयल्टी के रूप में के राजस्व की संभावित वित्तीय हानि	**0.21**
7.	9	स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करना	**0.53**
8.	10.1	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	**5.76**
9.	10.2	क्रय की गई सामग्री का भण्डारण, भण्डार पुस्तकों में इन्द्राज न करना	**0.19**

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत टकसाल, विकास खण्ड धर्मपुर, ज़िला सोलन के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री बनीश कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 10.04.2024 से 27.04.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2022-23	11/22	03/23
2023-24	03/24	08/23

<u>अस्वीकरण (Disclaimer):</u>- *इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।*

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹6400/-** आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 13/2024/टकसाल दिनांक 26.04.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GPT-30/2024 दिनांक 26.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया की अंकेक्षण शुल्क की राशि को ग्राम पंचायत की बैठक में पारित करके शीघ्र ही बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेज दिया जाएगा।

4. वित्तीय स्थिति:-

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 01/2024/टकसाल दिनांक 10.04.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख एवं वित्तीय स्थिति के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट - "क"** और **"ख"** में भी दिया गया है:-

1. स्व: स्त्रोत:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	1102218.75	3897024.00	4999242.75	2226984.50	2772258.25
2023-24	2772258.25	1834473.96	4606732.21	2832638.90	**1774093.31**

2. अनुदान: -

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	12772708.18	7174256.68	19946964.86	6347042.13	13599922.73
2023-24	13599922.73	3060688.00	16660610.73	5243967.96	**11416642.77**

कुल योग (1+2) = 1774093.31+11416642.77+130.89 = **13190866.97**

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति से **₹13190866.97** तथा बैंक खातों राशि के अन्तशेष **₹13281618.44 (परिशिष्ट -"ग")** से सम्बन्धित विवरणी निम्नानुसार है:-

क्र०	शीर्ष	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.24 को
1	सभा निधि / SF	जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित परवाणु	101534001004759	1153700.70
2	सभा निधि/5TH STATE, SDP,VKVNY,SBM, CRF, VMJS, IAY	जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित परवाणु	100734029000018	6802945.07
3	IWMP FUND AC	हिमाचल ग्रामीण बैंक	89270100001770	26110.00
4	IWMP-5	हिमाचल ग्रामीण बैंक	89270100001761	0.00

5	PMAGY	हिमाचल ग्रामीण बैंक	89270100002168	168830.10
6	14वां वित्तायोग / 14FC	HDFC परवाणु	50100180821931	1782.00
7	15वां वित्तायोग / 15FC	HDFC परवाणु	50100356957413	5107895.57
8	15वां वित्तायोग / 15FC	AXIS परवाणु	920010063891801	20355.00
			जोड़ (क)	**13281618.44**

दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-	
पंचायत के बैंक खातों में दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-	**13281618.44**
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4 (क) अन्तशेष :-	**13190866.97**
अंतर :-	**90751.47**

नोट :- अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि ₹0.91 लाख का अन्तर पाया जाना:-

ग्राम पंचायत की रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31.03.2024 को **₹90751.47** की राशि का अन्तर पाया गया। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/टकसाल दिनांक 26.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GPT-34/2024 दिनांक 27.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार रोकड़ बहियों का बैंक शेषों से मिलान कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता के बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके तथा रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.2 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई संहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिये पंचायत निधि खाता-क खोल जाएगा। इसी तरह नियम 3 में दर्शाई संहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिये आबंटित निधियाँ और प्राप्त ऋण खाता-ख खोल जाएगा। इसके अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए. (5)सी (15)-(13) (एल) 5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत के स्वयं स्त्रोत व अनुदान राशि का खाता – **"क"** व खाता- **"ख"** अलग-अलग से तैयार नहीं किया गया है। अपितु 14वें व 15वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशि को छोड़कर बाकी अन्य अनुदानों से प्राप्त निधि के आय व्यय को स्व-स्त्रोत रोकड़ बही में सम्मिलित किया गया था जो कि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है और इस कारणवश यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाती है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोज़न की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2024/टकसाल दिनांक 26.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GPT-33/2024 दिनांक 27.04.2024 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में नियमानुसार रोकड़ बही को पृथक कर लिया जाएगा व कृत अनुपालन से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता के बारे औचित्य स्पष्ट करते हुए नियमानुसार रोकड़ बही पृथक को किया जाए और ई-ग्राम स्वराज पर रोकड़ बही का अद्यतन सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 रोकड़ बहियों में राशि ₹50.75 लाख की अनुचित/असमर्थित प्रविष्टियाँ पाया जाना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **10** के अनुसार ग्राम पंचायत खाता से प्रत्येक आहरण, प्राप्ति की ओर

तथा निक्षेप संवितरण की ओर रोकड़ बही में शीघ्रतः प्रविष्ट किया जाएगा व उक्त खातों की पासबुक(कें) बनाई रखी जाएंगी।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित विवरण अनुसार विभिन्न रोकड़ बहियों में दर्ज आय व्यय की प्रविष्टियाँ पाई गई जिनका संबंधित बैंक खातों की पासबुकों से मिलान उपरांत कोई लेन-देन दर्ज नहीं था जिस कारण उक्त प्रविष्टियाँ अनुचित/असमर्थित प्रतीत होती है।

(i) आय

अनुदानः सभा निधि				
क्रम संख्या	**दिनांक**	**रोकड़ बही वॉचर संख्या**	**विवरण रोकड़ बही अनुसार**	**राशि**
1	31.11.2022	OWN/2022-23/R/36	Transfer from 15th FC to Sabha Fund	500000.00
2	31.01.2023	OWN/2022-23/R/46	To Correct Balance	500000.00
3	31.01.2023	OWN/2022-23/R/47	To Correct Balance	3320.00
4	04.02.2023	OWN/2022-23/R/49	Transfer from 15th FC to Sabha Fund	1829995.00
5	31.03.2023	OWN/2022-23/R/61	Other Rec.	37530.00
			कुल	**2870845**

(ii) व्यय

अनुदानः सभा निधि				
क्रम संख्या	**दिनांक**	**रोकड़ बही वॉचर संख्या**	**विवरण रोकड़ बही अनुसार**	**राशि**
1	30-11-2022	OWN/2022-23/P/20	Difference	94080.00
2	31-01-2023	OWN/2022-23/P/34	Adjustment voucher	336502.00
अनुदानः 15 वाँ वित्त				
3	31-03-2023	XVFC/2022-23/P/52	Double entry	1108958.00

4	31-03-2023	XVFC/2022-23/P/53	Double entry	663177.00
अनुदान: 14 वाँ वित्त				
5	31-03-2023	FFC/2022-23/P/3	Adjustment	1389.00
			कुल	**2204106.00**

कुल योग (i + ii) = 2870845 + 2204106 = 5074951

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/टकसाल दिनांक 25.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके प्रतिउत्तर क्रमांक GPT-32/2024 दिनांक 26.04.2024 में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि केवल online रोकड़ बही (ई ग्राम स्वराज रोकड़ बही) से बैंक खातों के अंतशेष के मिलान हेतु उक्त प्रविष्टियाँ की गई है व भविष्य में ऐसी कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी।

प्रथम दृष्टि में इन प्रविष्टियों से निधियों के दुर्विनियोजन से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः इस अनियमितता बारे विभागीय स्तर पर सभा निधि, 14वां वित्त व 15वां वित्त की रोकड़ बहियों की जांच की जाये व वस्तुस्थिति अनुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5. निवेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया है। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष स्व-स्त्रोत में कृत व्यय की तुलना में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/टकसाल दिनांक 26.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके प्रतिउत्तर क्रमांक GPT-34/2024 दिनांक 27.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि सभा निधि में बकाया अतिरिक्त राशि को नियमानुसार प्रस्ताव पारित करके भविष्य में सावधि निवेश कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत:अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत भविष्य में नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान राशि ₹114.17 लाख उपयोग हेतु शेष

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 01/2024 दिनांक 10.04.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट - " ख "** व **परिशिष्ट -" ग "** पर संलग्न है के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹ 1,14,16,642.77** की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/टकसाल दिनांक 26.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके प्रतिउत्तर क्रमांक GPT-34/2024 दिनांक 27.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उक्त मामले में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसके व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी को स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

7. पंचायत राजस्व

7.1 संपत्ति कर / गृहकर की राशि ₹1.96 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम **1994** की धारा **100** तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम

32 के अनुसार पंचायत को अपने कार्यक्षेत्र में निर्धारित दर से गृह कर आरोपित करने तथा उसके संग्रहण का अधिकार है।

ग्राम पंचायत टकसाल के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संपत्ति कर / गृहकर मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण नहीं किया गया था। पंचायत सचिव द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान ₹100 प्रति वर्ष की दर से गृहकर आरोपित किया था एवं राशि **₹1,95,500.00** के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी। गृहकर की नियमित वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2024/टकसाल दिनांक 10.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके प्रतिउत्तर क्रमांक GPT-20/2024 दिनांक 22.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि गृहकर की शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित करों एवं बकाया राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए व गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

वसूली हेतु शेष गृहकर राशि का विवरण :-

वित्तीय वर्ष	अथशेष	परिवारों	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	65000.00	650	100/-	65000.00	130000.00	0.00	130000.00
2023-24	130000.00	655	100/-	65500.00	195500.00	0.00	195500.00

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.01 लाख की कम वसूली करना: -

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि०प्र० के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400/- अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024/टकसाल दिनांक 12.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या GPT-23/2024 दिनांक 25.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गये विस्तृत विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

क्र० सं०	आवेदनकर्ता का नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	वसूल योग्य राशि (₹)	कम वसूली (₹)
1.	श्री हरदीप सिंह	01.05.2022	31.05.2022	400.00	400.00
2.	श्री नीरज शर्मा	15.12.2023	29.12.2023	400.00	400.00
3.	श्री पंकज	06.02.2024	16.03.2024	400.00	200.00
				कुल जोड़	**1000.00**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/टकसाल दिनांक 26.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या GPT-34/2024 दिनांक 27.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली रसीद संख्या 0122199, 0122200 व 0105820 के द्वारा कर ली है, व उपरोक्त राशि को संबन्धित खाते में जमा करवाकर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अत : परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त राशि संबन्धित खाते में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

7.3 दुकानों के किरायेदारों से देय किराये ₹0.03 लाख की वसूली हेतु शेष :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम **1994** की धारा **100** तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **32** के अनुसार पंचायत को अपने कार्यक्षेत्र में राजस्व का निर्धारण व उसके संग्रहण का अधिकार है।

ग्राम पंचायत टकसाल के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 की अवधि के दुकानों के किराये का मांग व संग्रहण रजिस्टर का संधारण नहीं किया गया था। पंचायत सचिव द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वर्ष

2022-23 व 2023-24 के दौरान कुल 05 दुकानों में से एक में कम्युनिटी हैल्थ हेतु उपयोग की जा रही है, एक दुकान का उपयोग पंचायत द्वारा सीमेंट स्टोर हेतु किया जा रहा है, व एक दुकान का कार्य पूर्ण नहीं है । केवल दो दुकानों को ही कियाए पर दिया गया है जिनसे **₹3000/-** के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी। दुकानों के किराये से सम्बन्धित मांग व वसूली रजिस्टर का संधारण प्रारूप - 10 पर नहीं किया गया था जिससे कि लम्बित दुकान के किराये तथा वसूली का पता लगाया जा सके तथा दुकान के किराये का नियमित रूप से वसूल न करना इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है, जो कि उपरोक्त नियमों की अवहेलना है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 02/2024/टकसाल दिनांक 10.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या GPT-21/2024 दिनांक 22.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित करों एवं बकाया राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

वसूली हेतु शेष दुकान के किराये की राशि का विवरण (परिशिष्ट - "घ") :-

वित्तीय वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	3000.00	36000.00	39000.00	36000.00	3000.00
2023-24	3000.00	36000.00	39000.00	36000.00	3000.00

8. व्यय

8.1 स्व: स्त्रोत से प्राप्त आय को बैक खाते में जमा करवाये बिना ही ₹ 0.66 लाख के व्यय करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज { वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते} नियम 2002 के नियम 6(3) के प्रावधानानुसार, पंचायत को सभी प्राप्तियों को प्रथमतः बैंक खाते में जमा तथा तदोपरान्त सभी प्रकार के भुगतान को खाते से किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड बही, बैंक पास बुक व सम्बन्धित अभिलेख में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा स्व: स्त्रोत से प्राप्त आय को बैंक में जमा करवाये बिना सीधे ही निम्न विवरण अनुसार **₹66037.00** का व्यय किया गया था जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, अपितु आपत्तिजनक भी है जिससे पंचायत स्व-स्त्रोतों की आय के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जिस राशि का विवरण **(परिशिष्ट - "ड") में सलग्न है** :-

क्रम स.	**वाउचर संख्या**	**दिनांक**	**रोकड़ व्यय जो बैंक के माध्यम से नही किया गया**	**राशि (₹)**
1	OWN/2022-23/P/1	29-04-2022	Sapahi fee commision charge	3414
2	OWN/2022-23/P/2	17-05-2022	Sapahi fees collection	1570
3	OWN/2022-23/P/5	17-05-2022	Electricity Bill	1563
4	OWN/2022-23/P/3	09-04-2022	Sapahi fee commision charge	1740
5	OWN/2022-23/P/4	09-04-2022	Office expenses	653
6	OWN/2022-23/P/7	29-06-2022	Commission sapahi fee	3400
7	OWN/2022-23/P/8	29-06-2022	Office electricity	706
8	OWN/2022-23/P/17	15-10-2022	Office Electricity	1207
9	OWN/2022-23/P/19	09-11-2022	Spahi fee	2620
10	OWN/2022-23/P/22	09-12-2022	Spahi fee commission	6405
11	OWN/2022-23/P/32	31-03-2023	Jalpan Gram Sabha, office exp, telephone bill, electricity	23588
12	OWN/2023-24/P/21	02-02-2024	Electricity Bill	1250
13	OWN/2023-24/P/25	29-02-2024	User Charges collection Charges	7510
14	OWN/2023-24/P/26	01-03-2024	Spahi fee commission	7510
15	OWN/2023-24/P/31	31-03-2024	Office expenses, Electricity	2901
			कुल योग	**66037**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14/2024/टकसाल दिनांक 26.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या GPT-29/2024 दिनांक 26.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत

करवाया गया कि नियमानुसार स्व: स्त्रोत से प्राप्त आय को बैंक खाते में जमा करवा दिया जाएगा व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

8.2 आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को रॉयल्टी के रूप में राशी ₹0.21 लाख के राजस्व की संभावित वित्तीय हानि

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81 ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 03/2023 व 08/2023 में रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गयी थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को **परिशिष्ट " च "** पर संलग्न विवरणानुसार **₹21,228** का संभावित अनियमित भुगतान किया गया था।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/टकसाल दिनांक 26.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर क्रमांक GPT-34/2024 दिनांक 27.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि शीघ्र ही आपूर्तिकर्ता से वसूली कर ली जाएगी।

अतः राशि **₹21,228** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस संबंध में संबंधित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हि. प्र. सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Non ferrous mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाया जाए व इसके अतिरिक्त यहाँ पर

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को रॉयल्टी के लिये जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जांच अपने स्तर पर करके नियमानुसार देय रॉयल्टी की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9. स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करके ₹0.53 लाख की वसूली न करना :-

सचिव ग्राम पंचायत टकसाल द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 में विभिन्न फर्मो व व्यक्तियों को भुगतान किया गया था । लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा **(परिशिष्ट-छ)** अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹53473.50 की स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी । आयकर की धारा 194 (c) में विहित प्रावधान के अनुसार स्त्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था ।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2024/टकसाल (क्रम संख्या 5) दिनांक 26.04.2024 द्वारा ₹45600 की स्रोत पर आयकर की कटौती ना करने पर सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या GPT-33/2024 दिनांक 27.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि संबन्धित कंपनी (वेंडर) से शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/टकसाल (क्रम संख्या 14) दिनांक 26.04.2024 द्वारा ₹7873.50 की स्रोत पर आयकर की कटौती ना करने पर सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसका विवरण **परिशिष्ट "छ"** पर संलग्न है। जिसके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या GPT-34/2024 दिनांक 27.04.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि संबन्धित कंपनी (वेंडर) से शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

10.1 नियमानुसार विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना चयनित माह में ₹5.76 लाख का निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं । परन्तु अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अनुसार पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 में ₹ 5,76,482/- की निर्माण से सम्बन्धित सामग्री का क्रय नियमानुसार निविदा/कोटेशन सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही

किया गया था, जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसके अभाव में यह ज्ञात करना सम्भव नहीं है कि उक्त वर्ष में विभिन्न सामग्री की क्रय दर कितनी थी तथा जिस मूल्य पर खरीद की गयी थी उसके संबंध में उचित अभिलेख न होने के कारण निम्न विवरणानुसार क्रय की गयी सामग्री पर किए गए व्यय को उचित नहीं ठहराया जा सकता है जोकि पंचायत निधि के धन के दुरुपयोग को भी दर्शाता है, जिसका विवरण **परिशिष्ट "ज"** पर संलग्न है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2024/टकसाल (क्रम संख्या 9) दिनांक 26.04.2024 द्वारा केवल चयनित माह में ₹5,76,482/- विभिन्न सामग्री की क्रय नियमानुसार निविदा/कोटेशन सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही करना जिसके प्रत्युत्तर क्रमांक GPT-34/2024 दिनांक 27.04.2024 द्वारा भविष्य में स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा संबंधित औपचारिक्ताओं को पूर्ण किये बिना नहीं किया जायेगा ।उत्तर संतोषजनक नही था । अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्ष 2022-23 व 2023-24 में किए गए व्यय की उचित कार्यवाही करके जाँच की जाए तथा इसे उचित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए वस्तुओं/सामग्री का क्रय करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.2 क्रय की गई ₹0.19 लाख की सामग्री का भण्डारण, भण्डार पुस्तकों में इन्द्राज न करना:-

हि०प्र०पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69 व 72(1)(ए,बी,सी,व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रक्रति के अनुरूप फार्म 25, 26, 27, व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु पंचायत के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक के दौरान की गई खरीद के सभी वाउचरों में से जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **₹19142**/-की सामग्री जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट-"झ"** पर दिया गया है, को क्रय उपरान्त भण्डार पुस्तक में दर्ज नहीं किया गया था जोकि एक गम्भीर मामला है । वर्णित अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/टकसाल दिनांक 26.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत टकसाल से उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर क्रमांक GPT-34/2024 दिनांक 27.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त व्यय वाउचरों के स्टॉक का लेखांकन स्टॉक

रजिस्टर में लिपिक त्रुटि के कारण नहीं हो पाया है। अतः स्टॉक प्रविष्टि करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

10.3 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/टकसाल दिनांक 26.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या GPT-34/2024 दिनांक 27.04.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। उत्तर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

11. विविध अनियमितताएं :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम104(2)(1) व 105 के अनुसार निर्माण कार्यों की नमूना जाँच , माप पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत करवाए गए कार्यों के मूल्याकनों की माप पुस्तिकाएं तकनीकी सहायक द्वारा लिखी गयी थी परन्तु माप पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन व परीक्षण जांच नहीं किया गया था (उदाहरणार्थ ऊपर वर्णित **पैरा 9**) तथा नियम 101

(ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही थी, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

12. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेख का अनुरक्षण न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था,जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	फॉर्म संख्या
1.	निवेश रजिस्टर	12	01
2.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	15 (1)	----
3.	वर्गीकृत सार	29 (4)	8
4.	अस्थाई अग्रीमों का रजिस्टर	30	09
5.	माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	33 व 77(4)	10
6.	बजट प्राक्कलन	37	11
7.	अनुदान रजिस्टर	61 (1)	21
8.	तकनिकी जाँच पड़तालों और तकनिकी मंजूरी आंकलन का रजिस्टर	95(1)	31

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 03/2024/टकसाल दिनांक 12.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर क्रमांक GPT-22/2024 दिनांक 25.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया

कि उक्त सभी रजिस्टरों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13. **लघु-आपत्ति विवरणिका :-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

14. **निष्कर्ष** :- हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

08 JUL 2024

3260 – 3264 का०/ले०

(कृष्ण लाल नेगी) 08/7/24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

पृष्ठांकन संख्या:– फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (4) 53/2024 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मपुर जिला सोलन हि0प्र0।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत टकसाल, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला सोलन (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

08 JUL 2024

का०/ले०

(कृष्ण लाल नेगी) 08.7.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

परिशिष्ट "क"

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP TAKSAL FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1102218.75	3897024.00	4999242.75	2226984.50	2772258.25
2023-24	2772258.25	1834473.96	4606732.21	2832638.90	**1774093.31**

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	12772708.18	7174256.68	19946964.86	6347042.13	13599922.73
2023-24	13599922.73	3060688.00	16660610.73	5243967.96	**11416642.77**

परिशिष्ट "ट"

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP TAKSAL FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	5TH STATE	2022-23	1815802.00	416069.00	2231871.00	428817.00	1803054.00
		2023-24	1803054.00	600894.00	2403948.00	581000.00	1822948.00
2	SDP	2022-23	21029.00	0.00	21029.00	8828.00	12201.00
		2023-24	12201.00	49000.00	61201.00	59623.00	1578.00
3	VKVNY	2022-23	226592.00	208500.00	435092.00	119701.00	315391.00
		2023-24	315391.00	240000.00	555391 00	0.00	555391.00
4	SBM	2022-23	1039057.00	48000.00	1087057.00	0.00	1087057.00
		2023-24	1087057.00	0.00	1087057.00	48000.00	1039057.00
5	VMJS	2022-23	5912.00	0.00	5912.00	0.00	5912.00
		2023-24	5912.00	0.00	5912.00	0.00	5912.00
6	CRF	2022-23	308389.00	247500.00	555889.00	0.00	555889.00
		2023-24	555889.00	667000.00	1222889.00	168600.00	1054289.00
7	IAY	2022-23	47900.00	0.00	47900.00	0.00	47900.00
		2023-24	47900.00	0.00	47900.00	0.00	47900.00
8	IWMP FUND ACCOUNT	2022-23	24433.00	28491.68	52924.68	27522.68	25402.00
		2023-24	25402.00	708.00	26110.00	0.00	26110.00
9	IWMP	2022-23	27145.68	375.00	27520.68	27520.68	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	PMAY	2022-23	159719.10	4535.00	164254.10	0.00	164254.10
		2023-24	164254.10	4576.00	168830.10	0.00	168830.10
11	14TH FC	2022-23	1982030.10	1293.00	1983323.10	65549.00	1917774.10
		2023-24	1917774.10	13.00	1917787.10	34171.00	1883616.10
12	15TH FC	2022-23	7114699.30	5890531.00	13005230.30	5340141.77	7665088.53
		2023-24	7665088.53	1206374.00	8871462.53	4060450.96	4811011.57
13	MNREGA	2022-23	0.00	328962.00	328962.00	328962.00	0.00
		2023-24	0.00	292123.00	292123.00	292123.00	0.00

सचिव Pawan Thakur
ग्राम पंचायत टकसाल

22 21

परिशिष्ट- ग पैरा- 5 व 6

कार्यालय ग्राम पंचायत टकनाल विकास खण्ड धरमपुर ज़िला सोलन, हि०प्र०, पिन-173220

बैंक व रोकड़ बही अंतर

ग्राम पंचायत टकसाल के दिनांक 01.04.2022 व 31.03.2024 को बैंक शेष:-

क्र०	शीर्ष	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.24 को
1	सभा निधि / SF	जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित परवाणु	101534001004759	1153700.70
2	सभा निधि/5TH STATE SDP, VKVNY, SBM,VMJS, CRF, IAY	जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित परवाणु	100734029000018	6802945.07
3	IWMP FUND AC	हिमाचल ग्रामीण बैंक	89270100001770	26110.00
4	IWMP-5	हिमाचल ग्रामीण बैंक	89270100001761	0.00
5	PMAGY	हिमाचल ग्रामीण बैंक	89270100002168	168830.10
6	14वां विनायोग / 14FC	HDFC परवाणु	50100180821931	1782.00
7	15वां विनायोग / 15FC	HDFC परवाणु	50100356957413	5107895.57
8	15वां विनायोग / 15FC	AXIS परवाणु	920010063891801	20355.00
			जोड़ (क)	13281618.44
दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-				
पंचायत के बैंक खातों में दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-				13281618.44
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- अन्तशेष :-				13190866.97
			अंतर :-	90751.47

Pawan Thakur
सचिव (पवन ठाकुर)
ग्राम पंचायत टकनाल
विकास खण्ड धरमपुर,
जिला सोलन (हि०प्र०)

23

Kind Attn: Mr Mahesh Kashyap.

(परिशिष्ट "घ" पैरा संख्या "7.3" में संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत टकसाल, वि०ख० धर्मपुर, ज़िला सोलन हि०प्र०

दिनांक 31-03-2024 को ग्राम पंचायत में दुकानों का किराया वसूली हेतु शेष:-

पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत दुकानों की कुल संख्या 02 का ₹1500/- प्रति दुकान (प्रतिमाह) की दर से:-

क्रम संख्या	दुकान न० व पता	दुकान के अनुबन्ध की दिनांक	दुकान का प्रति माह किराया	वित्तीय वर्ष 2022-23				वित्तीय वर्ष 2023-24			
				अथ शेष	मांग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि	अथ शेष	मांग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
1	दुकान संख्या-01 (विष्णु कुमार)गाँव टकसाल वार्ड -12	कोई अनुबन्ध नहीं है	₹ 1,500.00	₹ 3,000.00	₹ 18,000.00	₹ 18,000.00	₹ 3,000.00	₹ 3,000.00	₹ 21,000.00	₹ 18,000.00	₹ 3,000.00
2	दुकान संख्या-02(नन्द लाल) गाँव टकसाल वार्ड -13	कोई अनुबन्ध नहीं है	₹ 1,500.00	₹ 0.00	₹ 18,000.00	₹ 18,000.00	₹ 0.00	₹ 0.00	₹ 18,000.00	₹ 18,000.00	₹ 0.00
3	दुकान संख्या-01 व 2 गाँव टकसाल पंचायत घर	दुकानो का कम्यूनिटी हैल्थ क्लब हेतु उपयोग किया जा रहा है ।									
4	दुकान संख्या-03 व 4 गाँव टकसाल पंचायत घर	दुकानो का उपयोग सीमेंट स्टोर हेतु किया जा रहा है ।									
5	दुकान संख्या-05 गाँव टकसाल पंचायत घर	दुकान का कार्य अभी पूर्ण नहीं है ।									

सचिव
ग्राम पंचायत टकसाल

परिशिष्ट "ड.", पैरा संख्या "ड.1" के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत टकसाल द्वारा स्वतः स्त्रोत से प्राप्त आय को बैक खाते में जमा करवाये बिना ही ₹ 0.66 लाख के व्यय करने का विवरण

क्रम स.	वाउचर संख्या	दिनांक	रोकड़ व्यय जो बैंक के माध्यम से नही किया गया	राशि (₹)
1	OWN/2022-23/P/1	29-04-2022	Sapahi fee commision charge	3414
2	OWN/2022-23/P/2	17-05-2022	Sapahi fees collection	1570
3	OWN/2022-23/P/5	17-05-2022	Electricity Bill	1563
4	OWN/2022-23/P/3	09-04-2022	Sapahi fee commision charge	1740
5	OWN/2022-23/P/4	09-04-2022	Office expenses	653
6	OWN/2022-23/P/7	29-06-2022	Commission sapahi fee	3400
7	OWN/2022-23/P/8	29-06-2022	Office electricity	706
8	OWN/2022-23/P/17	15-10-2022	Office Electricity	1207
9	OWN/2022-23/P/19	09-11-2022	Spahi fee	2620
10	OWN/2022-23/P/22	09-12-2022	Spahi fee commission	6405
11	OWN/2022-23/P/32	31-03-2023	Jalpan Gram Sabha, office exp, telephone bill, electricity	23588
12	OWN/2023-24/P/21	02-02-2024	Electricity Bill	1250
13	OWN/2023-24/P/25	29-02-2024	User Charges collection Charges	7510
14	OWN/2023-24/P/26	01-03-2024	Spahi fee commission	7510
15	OWN/2023-24/P/31	31-03-2024	Office expenses, Electricity	2901
			कुल योग	66037

Pawan Thakur
(पवन ठाकुर)
Secretary, Panchayat Taksal

परिशिष्ट " च ", पैरा संख्या " 8.2" के संदर्भ में

ग्राम पंचायत टकसाल द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) सुनिश्चित न करने के कारण केवल चयनित माह में सरकार को राशी ₹ 0.21 लाख के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि

	15 वाँ वित्तीय अयोग									
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा0 सं ० / दिनांक	बिल सं ०/ दिनांक	मद का नाम	Qty (Feet)	Qty (Cum)	Determining Factor	Qty MT	Royality (Per MT)	Due Royality
1	मै० रुबिन कुमार	43 / 24-08-2023	150 / 03-08-2023	रेत	400	11.33	1.62	18.36	80	1468.80
				बजरी	200	5.66	1.52	8.6	80	688.00
2	मै० रुबिन कुमार	44 / 24-08-2023	151 / 04-08-2023	रेत	400	11.33	1.62	18.36	80	1468.80
				बजरी	400	11.33	1.52	17.22	80	1377.60
				गटका	200	5.66	1.52	8.6	80	688.00
3	मै० रुबिन कुमार	45 / 24-08-2023	157 / 10-08-2023	बजरी	800	22.66	1.52	34.44	80	2755.20
4	मै० रुबिन कुमार	46 / 24-08-2023	155 /08-08-2023	रेत	600	16.99	1.62	27.52	80	2201.60
				बजरी	600	16.99	1.52	25.83	80	2066.40
5	मै० रुबिन कुमार	47 / 24-08-2023	152 /05-08-2023	रेत	600	16.99	1.62	27.52	80	2201.60
				बजरी	600	16.99	1.52	25.83	80	2066.40
									Total	16982.40
									Panelity @ 25 %	4245.60
									कुल राशी	**21228.00**

(KAMAL KISHOR)
TAKSAL

सचिव (पवन ठाकुर)
ग्राम पंचायत टकसाल

25

परिशिष्ट " ६ ", पैरा संख्या " ९ " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत टकसाल द्वारा स्रोत पर आयकर की कटौती न करके ₹ 0.53 लाख की वसूली न करना की सूची

वा0 सं० / दिनांक	आपूर्तिकर्ता	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	भुगतान की गई राशी (₹)	कटौती की दर	स्रोत पर कर की राशी (₹)
39 / 24-08-2023	मै० ॐ मन्स स्टील प्राईवेट लिमिटेड	2628 / 08-08-2023	सरिया 20 मी० मी०	1974 कि० ग्रा०	51.50	295620.00	1%	2956.20
			सरिया 10 मी० मी०	925.60 कि० ग्रा०	52.50			
			सरिया 8 मी० मी०	549.60 कि० ग्रा०	53.50			
			सरिया 16 मी० मी०	1245.60 कि० ग्रा०	51.50			
			एम एम वायर	40 कि० ग्रा०	67.50			
40 / 24-08-2023	मै० ॐ मन्स स्टील प्राईवेट लिमिटेड	2780 /16-08-2023	सरिया 10 मी० मी०	1893 कि० ग्रा०	52.50	166430.00	1%	1664.30
			सरिया 20 मी० मी०	188 कि० ग्रा०	51.50			
			सरिया 16 मी० मी०	284.80 कि० ग्रा०	53.50			
			सरिया 8 मी० मी०	280.20 कि० ग्रा०	51.50			
40 / 24-08-2023	मै० ॐ मन्स स्टील प्राईवेट लिमिटेड	2780 /16-08-2023	सरिया 10 मी० मी०	1131.50 कि० ग्रा०	52.50	71300.00	1%	713.00
NA / 24-08-2023	मै० ॐ मन्स स्टील प्राईवेट लिमिटेड	2878 /21-08-2023	एम एम वायर	25 कि० ग्रा०	67.50	2000.00	1%	20.00
29	बैजनाथ प्रशाद	NA/ 22-08-2023	स्टील स्ट्रींग	6000 वर्ग फुट	42.00	252000	1%	2520.00
NA(FY 2022-23)	दिनेश कुमार	NA	कूड़ा संग्रहन भुगतान	गाड़ी व मजदूरों सहित	190000.00	2280000	1%	22800.00
NA(FY 2022-23)	दिनेश कुमार	NA	कूड़ा संग्रहन भुगतान	गाड़ी व मजदूरों सहित	190000.00	2280000	1%	22800.00
							कुल	53473.50

PawanThakur

सचिव (पवन ठाकुर)
ग्राम पंचायत टकसाल
विकास खण्ड धर्मपुर,
जिला सोलन, हि.प्र.

27

26

परिशिष्ट "ज", पैरा संख्या "10.2" के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत टकसाल द्वारा औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना क्रय किये गये सामग्री/स्टॉक की सूची

क्र०सं०	वा0 सं ० / दिनांक	आपूर्तिकर्ता	बिल सं ०/ दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	राशी	टिप्पणी
1	39 / 24-08-2023	मै० ॐ सन्स स्टील प्राईवेट लिमिटेड	2628 / 08-08-2023	सरिया 20 मी० मी०	1974 की० ग्रा०	51.50	295620.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
				सरिया 10 मी० मी०	925.60 की० ग्रा०	52.50		
				सरिया 8 मी० मी०	549.60 की० ग्रा०	53.50		
				सरिया 16 मी० मी०	1245.60 की० ग्रा०	51.50		
				एम एस वायर	40 की० ग्रा०	67.50		
2	40 / 24-08-2023	मै० ॐ सन्स स्टील प्राईवेट लिमिटेड	2780 /16-08-2023	सरिया 10 मी० मी०	1893 की० ग्रा०	52.50	166430.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
				सरिया 20 मी० मी०	188 की० ग्रा०	51.50		
				सरिया 16 मी० मी०	284.80 की० ग्रा०	53.50		
3	40 / 24-08-2023	मै० ॐ सन्स स्टील प्राईवेट लिमिटेड	2780 /16-08-2023	सरिया 8 मी० मी०	280.20 की० ग्रा०	51.50		
4	NA / 24-08-2023	मै० ॐ सन्स स्टील प्राईवेट लिमिटेड	2878 /21-08-2023	सरिया 10 मी० मी०	1131.50 की० ग्रा०	52.50		
5	85 / 19-03-2023	सिकंदर	NIL	एम एस वायर	25 की० ग्रा०	67.50	71300.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
				रेत की ढुलाई	240	12.00	2000.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
6	88 / 29-03-2023	मै० अग्रवाल एंड कंपनी	4624 / 03-12-2022	बजरी की ढुलाई	440	12.00	2880.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
				पी० वी० सी० पाईप	7	980.00	5280.00	
7	86 / 18-03-2023	गुरदेव	NA / 24-01-2023	पी० वी० सी० पाईप अल्कथिन	115	68.00	17322.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
				Making of Shed	470	19.00		
				Laying of Sheets	450	15.00	15650.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
						कुल योग	**576482.00**	

Pawan Thakur
सचिव (पवन ठाकुर)
ग्राम पंचायत टकसाल

27

परिशिष्ट " झ ", पैरा संख्या " 10.2" के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत टकसाल द्वारा क्रय किये गये सामग्री की सूची जिसका स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन नहीं किया गया है

क्र०सं०	वा०सं०/दिनांक	आपूर्तिकर्ता	बिल सं० / दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	भुगतान की गई राशी gst सहित
1	88 / 29-03-2023	मै० अग्रवाल एंड कंपनी	4624 / 03-12-2022	पी० वी० सी० पाईप	7	980	17322.00
				पी० वी० सी० पाईप अल्कथिन	115	68	
2	90 / 29-03-2023	मै० ॐ सन्स स्टील प्राईवेट लिमिटेड	6426 /26-12-2023	पाईप 50X50	24	63.75	1820.00
						कुल	19142.00

Pawan Thakur
(पवन ठाकुर)
cव्या.ल

28